

कार्यालय पुलिस अधीक्षक सिंगरौली जिला सिंगरौली (म0प्र0)

// आदेश //


पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा आदेश क्र0/पु0अ0/सिंग0/रनि0/आ0 आवंटन/एम-12920/2015 दिनांक 07.10.2015 के आवास आवंटन हेतु समिति का गठन किया गया जिसकी अनुशंसा, नोटशीट क्रमांक 157 की स्वीकृति एवं सभी इकाईयों को यथासंभव भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये, आवास आवंटन हेतु पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश क्र0-पु0मु0/लेखा/पेंशन/1287/2008 दिनांक 05.12.2008 में दिये गए निर्देश का पालन करते हुये, प्रतीक्षा सूची रजिस्टर का मिलान किया गया प्रतीक्षा सूची में क्रमानुसार एवं वरिष्ठ अधिकारियों की अनुशंसा अनुसार क्रमपूर्व सरल क्रमांक- 01 से 06 तक शासकीय सेवकों के नाम के सम्मुख दर्शित आवास आवंटित किया जाता है।

क्र0	पद	नाम लोकसेवक	आवास क्र0
01	आर0 275	ब्रजेश रावत	गोपद-03/19
02	आर0 53	अनूप मिश्रा	गोपद-04/35
03	आर0 570	दिलीप धाकड़	गोपद-06/53
04	आर0 441	आशीष त्रिपाठी	गोपद-06/59
05	महिला नव-आरक्षक 79	प्रियंका ठकुरिया	गोपद-09/88
06	आर0 270	ललित मिश्र (डॉग हैण्डलर)	गोपद-10/92

शर्त :-


- 1 आवासगृहों का आवंटन आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अन्दर घोषण पत्र प्राप्त कर अधिपत्य की सूचना रक्षित निरीक्षक कार्यालय में देना आवश्यक होगा यदि सूचना नहीं दी जाती है तो उक्त आवास आवंटन निरस्त कर वरिष्ठता सूची में आने वाले शासकीय सेवकों को आवंटन कर दिया जावेगा जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार है।
- 2 विद्युत मीटर लगवाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर 05 दिवस में अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 3 बिजली/पानी का संबंधी समस्त देयक का भुगतान प्रत्येक माह आपके द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
- 4 आवासगृहों में लगे स्थाई उपकरण विद्युत बोर्ड, पंखे, ट्यूलाईट, आदि में यदि कोई छति होती है उक्त हानि की राशि का आपके वेतन से वसूल की जावेगी।
- 5 आवासगृहों में किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण एवं तोड़-फोड़ नहीं किया जावेगा, यदि ऐसा होना पाया जाता है तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 शासकीय आवास में किसी प्रकार का पालतू पशु आदि बिना अनुमति के नहीं पाला जावे।
- 7 शासकीय सेवकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये आवास क्रमांक का आवंटन किया गया है यदि आवंटित आवास में परस्पर बदलाव या अन्य शासकीय सेवकों को प्रवेश दिया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 8 आवासगृहों में किसी भी प्रकार का शासकीय अथवा अशासकीय व्यवसाय का संचालन नहीं किया जावेगा।
- 9 पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के पालन में आवासीय परिसर की साफ सफाई व्यवस्था हेतु राशि 2000/-रु0 एवं विद्युत मीटर लगवाने जाने हेतु राशि- 1956/-रु0 जमा किये जाने के उपरान्त ही आवास ही आवास अधिपत्य में दिया जावेगा।
- 10 सम्पूर्ण कार्यवाही 07 दिवस के अन्दर पूर्ण न किये जाने पर संबंधित का बिना किसी सूचना दिये आवास आवंटन निरस्त कर वरिष्ठता सूची में आने वाले अन्य शासकीय सेवकों को आवास आवंटित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त वर्णित शर्तें एवं शपथ पत्र/घोषणा पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार समय-समय पर सम्पदा अधिकारी द्वारा जारी अन्य नियम एवं शर्तों समस्त शासकीय सेवकों को मान्य करने हेतु वाध्य होंगे।


पुलिस अधीक्षक
जिला सिंगरौली (म0प्र0)
दिनांक 5/09/2020

क्र0-पु0अ0/सिंग0/रनि0/आवास आवंटन/ 1993 /20
प्रतिलिपि :-

1. अति0 पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. रक्षित निरीक्षक रक्षित केन्द्र सिंगरौली की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. स्थापना लिपिक/मुख्य लिपिक/एसी शाखा/रिकार्ड शाखा/स्टोनो शाखा/वेतन लिपिक/की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. स्टोर शाखा प्रभारी पुलिस लाईन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित जन को सूचनार्थ।


पुलिस अधीक्षक
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक सिंगरौली जिला सिंगरौली (म0प्र0)

// आदेश //

पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा आदेश क्र0/पु0अ0/सिंग0/रनि0/आ0 आवंटन/एम-12920/2015 दिनांक 07.10.2015 के आवास आवंटन हेतु समिति का गठन किया गया जिसकी अनुशंसा, प्रतीक्षा सूची में क्रमानुसार कार्य की प्राथमिकता एवं सभी इकाईयों को यथासंभव भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये, आवास आवंटन हेतु पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश क्र0-पु0मु0/लेखा/पेंशन/1287/2008 दिनांक 05.12.2008 में दिये गए निर्देश का पूर्णतः पालन करते हुये, प्रतीक्षा सूची रजिस्टर का मिलान किया गया प्रतीक्षा सूची में क्रमानुसार एवं कार्य की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए सरल क्रमांक- 01 से 09 तक शासकीय सेवकों के नाम के सम्मुख दर्शित आवास आवंटित किया जाता है।

क्र0	पद	नाम लोकसेवक	पदस्थापना	आवास क्र0
1	निरीक्षक	रामायण प्रसाद रावत	थाना प्रभारी अजाक	सोन-03/13
2	सूबेदार	आशीष तिवारी	पुलिस लाईन	सोन-03/11
3	उप निरीक्षक	आदित्य करदाते	थाना बैढ़न	सोन-03/14
4	उप निरीक्षक	बालेन्द्र त्यागी	चौकी बंधौरा	सोन-07/31
5	उप निरीक्षक	खेलन सिंह करिहार	चौकी बरका	सोन-03/15
6	उप निरीक्षक	संदीप नागदेव	चौकी निवास	सोन-05/22
7	सहा0उप निरीक्षक	रमानिवास मिश्रा	चौकी निगरी	सोन-04/17

शर्तें :-

- 1 आवासगृहो का आवंटन आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अन्दर घोषण पत्र प्राप्त कर अधिपत्य की सूचना रक्षित निरीक्षक कार्यालय में देना आवश्यक होगा यदि सूचना नहीं दी जाती है तो उक्त आवास आवंटन निरस्त कर बरिष्ठता सूची में आने वाले शासकीय सेवक को आवंटन कर दिया जावेगा जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार है।
- 2 विद्युत मीटर लगवाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर 05 दिवस में अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 3 बिजली/पानी का संबंधी समस्त देयक का भुगतान प्रत्येक माह आपके द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
- 4 आवासगृहो में लगे स्थाई उपकरण विद्युत बोर्ड, पंखे, ट्यूलाइट, आदि में यदि कोई छति होती है उक्त हानि की राशि का आपके वेतन से वसूल की जावेगी।
- 5 आवासगृहो में किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण एवं तोड़-फोड़ नहीं किया जावेगा, यदि ऐसा होना पाया जाता है तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 शासकीय आवास में किसी प्रकार का पालतू पशु आदि बिना अनुमति के नहीं पाला जावे।
- 7 शासकीय सेवको को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये आवास क्रमांक का आवंटन किया गया है यदि आवंटित आवास में परस्पर बदलाव या अन्य शासकीय सेवक को प्रवेश दिया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 8 आवासगृहो में किसी भी प्रकार का शासकीय अथवा अशासकीय व्यवसाय का संचालन नहीं किया जावेगा।
- 9 पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के पालन में आवासीय परिसर की साफ सफाई व्यवस्था हेतु राशि 2000/- रु0 एवं विद्युत मीटर लगवाने जाने हेतु राशि- 1956/- रु0 जमा किये जाने के उपरान्त ही आवास ही आवास अधिपत्य में दिया जावेगा।
- 10 सम्पूर्ण कार्यवाही 07 दिवस के अन्दर पूर्ण न किये जाने पर संबंधित का बिना किसी सूचना दिये आवास आवंटन निरस्त कर बरिष्ठता सूची में आने वाले अन्य शासकीय सेवको को आवास आवंटित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त वर्णित शर्तें एवं शपथ पत्र/घोषणा पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार समय-समय पर सम्पदा अधिकारी द्वारा जारी अन्य नियम एवं शर्तों समस्त शासकीय सेवक मान्य करने हेतु वाध्य होंगे।

पुलिस अधीक्षक

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

दिनांक 21/08/2020

क्र0-पु0अ0/सिंग0/रनि0/आवास आवंटन/ 1898 /20
प्रतिलिपि :-

1. अति0 पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. रक्षित निरीक्षक रक्षित केन्द्र सिंगरौली की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. स्थापना लिपिक/मुख्य लिपिक/एसी शाखा/रिकार्ड शाखा/स्टोनो शाखा/वेतन लिपिक/की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. स्टोर शाखा प्रभारी पुलिस लाईन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित जन को सूचनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जिला सिंगरौली (म0प्र0)